


— आदेश —

अतः प्रार्थी हाजी पुत्र धोधा, जाति— कुमावत, नि० बोथिया जांगीर, तह० बाडमेर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धारवी खुर्द, पटवार मण्डल—धारवी कला, भु— अभिलेख निरीक्षक — गूंगा, तह० शिव, के खसरा नम्बर 135 रकबा 241.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम तामील में जारी हुए
8/7/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम-चक गूंगा, पटवार हल्का-गूंगा, भु- अभिलेख निरीक्षक- गूंगा, तह० शिव के खसरा नम्बर 135 रकबा 241.06 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 33 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 33 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	

उपलब्ध अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 138/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 3131

दिनांक- 08/7/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

हाजी पुत्र धोधा, जाति-मुसलमान, नि0
वक गूंगा, तह0 शिव

हासम पुत्र सिन्दल वगैरा (33)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम वक गूंगा, पटवार हल्का- गूंगा, भू- अभिलेख निरीक्षक - गूंगा के खेत खसरा नम्बर 135 एकबा 241.06 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/ 3132-3137

दिनांक- 8/7/19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवारी गूंगा को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी हाजी पुत्र धोधा को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण हासम पुत्र सिन्दल वगैरा (33) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

